रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224021 CG-DL-E-30122020-224021

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676] No. 676] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. 48/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 811(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्तूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 804(अ) दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/29/2009- टीआरयू (Pt-II)]

राजीव रंजन. अवर सचिव

6446 GI/2020 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 51/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 को सा.का.िन. 804(अ) दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 39/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), 26 नवम्बर, 2020 जिसे सा.का.िन. 738 (अ), दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

No. 48/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 811(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 804(E), dated the 21st October, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/29/2009-TRU (Pt-II)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015 was published *vide* number G.S.R. 804(E), dated the 21st October, 2015 and last amended by notification No. 39/2020-Customs (ADD) dated the 26th November, 2020 published *vide* number G.S.R. 738(E), dated the 26th November, 2020.